



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072024-255773  
CG-DL-E-26072024-255773

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2855]  
No. 2855]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 2996(अ).—केंद्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 665(अ), तारीख 12 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(क) क्रम संख्यांक 2 में स्तंभ सं. (3) में, खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) पिस्टल/रिवाल्वर (प्रतिषिद्ध और निर्बन्धित प्रवर्ग को छोड़कर) जिनका किसी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं या खेल आयोजन में प्रयुक्त किया जाना अनुज्ञात है;”;

(ख) क्रम संख्यांक 5 की स्तंभ सं. (3) में, खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) पिस्टल/रिवाल्वर (प्रतिषिद्ध और निर्बन्धित प्रवर्ग को छोड़कर) जिनका किसी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं या खेल आयोजन में प्रयुक्त किया जाना अनुज्ञात है;” ।

[फा. सं. वी-11026/133/2019-आर्म्स (पार्ट-II)]

अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

टिप्पण-मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 665(अ), तारीख 12 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2024

**S.O. 2996(E)**—In exercise of the powers conferred by section 41 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 665(E) dated the 12<sup>th</sup> February, 2020, namely: -

1. In the said notification, in the Schedule, —

(a) in serial number 2, in column number (3), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely: -

“(iii) Pistol/Revolvers (excluding prohibited and restricted category) which are permitted to be used in any national/international competitions or sports events;”;

(b) in serial number 5, in column number (3), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely: -

“(iii) Pistol/Revolvers (excluding prohibited and restricted category) which are permitted to be used in any national/international competitions or sports events;”.

[F No. V-11026/133/2019-Arms (Part II)]

ANIL SUBRAMANIAM, Jt. Secy.

**Note.**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.665(E) dated the 12<sup>th</sup> February, 2020.